न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भिवाड़ी (खैरथल–तिजारा)

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस. अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भिवाड़ी)

अपील संख्या	किस्म मुकदमा	प्रवेश दिनांक	निर्णय दिनांक
11 / 11 / 2025	अपील इंतकाल	12.08.2025	01.01.2026

उनवान प्रकरण :–

1. चन्द्रभान पुत्र श्री खेमचन्द उम्र करीब 25 साल जाति मेघवाल निवासी ग्राम हरसौली तहसील हरसौली जिला खैरथल तिजारा राज०

–:अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार, कोटकासिम हाल तहसीलदार, हरसौली पंचायत समिति कोटकासिम तहसील हरसौली जिला खैरथल तिजारा राज०

–:रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आज्ञा तत्तकालीन तहसीलदार, कोटकासिम दिनांक 6/2/13 जिसके द्वारा नामान्तरकरण सं० 3990 ग्राम हरसौली मे मिन अपीलान्ट का नाम गलत तौर से चन्द्रभान के स्थान पर अमित कुमार दर्ज व स्वीकार किया गया अपास्त किये जाने आज्ञा उक्त व स्वीकार किये जाने अपील अपीलान्ट व दुरूस्त किये जाने नामान्तरकरण बहक अपीलान्ट नाम चन्द्रभान

उपस्थित :

1. **श्री सुबेसिंह यादव एडवोकेट।** :– **वकील अपीलान्ट**

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, अपीलाधीन आज्ञा यह है कि अपील विरूध आज्ञा तत्कालीन तहसीलदार, कोटकासिम पं. स. कोटकासिम है। अतः अपील न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। मिन अपीलान्ट के पिताजी खेमचन्द के नाम से ग्राम हरसौली तहसील हरसौली में आराजी खसरा नम्बरान 3256/4177/0.0800, 551/0. 2900, 4322/2064 हैक्टयर थी। मिन अपीलान्ट के पिताजी खेमचन्द की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का इंतकाल संख्या 3990 मिन अपीलान्ट व मिन अपीलान्ट की दो बहनो संगीता, मनीषा व मिन अपीलान्ट की माताजी रामकला व मिन अपीलान्ट के भाई गिरिश कुमार के नाम रेस्पोडेन्ट तत्तकालीन तहसीलदार, कोटकासिम द्वारा दिनांक 6/2/13 को स्वीकार किया गया। जिसके आधार पर राजस्व

रिकोर्डस मे अमल आया है। यह है कि मिन अपीलान्ट के पिताजी खेमचन्द की मृत्यु के समय मिन अपीलान्ट नाबालिग था उस समय तत्कालीन तहसीलदार, कोटकासिम द्वारा व हल्का पटवारी द्वारा मिन अपीलान्ट के पिताजी खेमचन्द की विरासत का इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया गया तब उस समय मिन अपीलान्ट के सही नाम की ना तो कोई जाँच की गयी और ना ही वार्ड पंच की रिपोर्ट ली गई कि खेमचन्द के वारिसानो के क्या–क्या नाम है। परन्तु तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा जो नाम इंतकाल मे दर्ज कर स्वीकार करने हेतु तत्कालीन तहसील द्वार, कोटकासिम के समक्ष पेश किया उसको हुबहू तत्कालीन तहसीलदार, कोटकासिम ने स्वीकार कर दिया जिसके आधार पर राजस्व रिकोर्डस मे अमल दरामद हो गया। यह है कि मिन अपीलान्ट का सही नाम चन्द्रभान पुत्र श्री खेमचन्द है। परन्तु इंतकाल उक्त मे मिन अपीलान्ट का नाम अमित कुमार पुत्र खेमचन्द दर्ज किया गया जो कि गलत है। जबकि मिन अपीलान्ट का शुरू से ही चन्द्रभान नाम रहा है। मिन अपीलान्ट ने विधालय में प्रवेश लिया जब भी मिन अपीलान्ट का विधालय मे नाम चन्द्रभान लिखाया गया था मिन अपीलान्ट ने कक्षा 10 वी बोर्ड की परीक्षा दी उसकी अंकतालिका में भी मिन अपीलान्ट का नाम चन्द्रभान दर्ज है व मिन अपीलान्ट की माताजी रामकला के नाम से राशनकार्ड बना हुआ है उसमे भी मिन अपीलान्ट का नाम चन्द्रभान दर्ज है इसी प्रकार मिन अपीलान्ट के नाम से जो आधार कार्ड आदि दस्तावेजात बने हुये है उसमे भी मिन अपीलान्ट का नाम चन्द्रभान दर्ज है। परन्तु उक्त आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड मे मिन अपीलान्ट का नाम अमित कुमार दर्ज कर दिया जो गलत है। यह है कि मिन अपीलान्ट को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नही रही कि मिन अपीलान्ट का नाम उक्त आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड मे अमित कुमार दर्ज है। अब मिन अपीलान्ट प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत अपना नाम जुडवाने गया तब मिन अपीलान्ट को राजस्व रिकोर्ड मे गलत नाम अमित कुमार के इन्द्राज की जानकारी हुई इससे पहले इस गलत नाम की जानकारी नही रही। यह है कि मिन अपीलान्ट का गलत नाम अमित कुमार रहने से मिन अपीलान्ट कृषि से सम्बंधित कोई भी कार्य नही कर पा रहा हू और ना ही राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता प्राप्त कर पा रहा हूँ। दिनांक 15/6/25 को उक्त गलत नाम की जानकारी मिन अपीलान्ट को हुई तब मिन अपीलान्ट ने उक्त इंतकाल की नकल प्राप्त की व वकील साहब से कानूनी सलाह मशविरा करके बिला देरी से जानकारी की दिनांक से अन्दर अवधि मियाद ये अपील मिन अपीलान्ट द्वारा अदालत श्रीमान में पेश की जा रही है। यह है कि तत्कालीन तहसीलदार, कोटकासिम ने दिनांक 6/2/13 को इंतकाल संख्या 3990 खेमचन्द का स्वीकार किया है उस इंतकाल में मिन अपीलान्ट का नाम अमित कुमार पुत्र खेमचन्द दर्ज किया है उसको शुद्ध कर मिन अपीलान्ट का सही नाम चन्द्रभान पुत्र खेमचन्द दर्ज कराने का मिन अपीलान्ट अधिकारी हू। यह है कि मिन अपीलान्ट की जानकारी में दिनांक 15/6/25 को आने के बाद इंतकाल की नकल तहसील हरसौली से प्राप्त की अब बिना देरी से अपील अपीलान्ट अन्दर अवधि अदालत श्रीमान में पेश है। अपील के साथ प्रार्थनापत्र दफा 5 कानूनी मियाद अधिनियम का अलग से पेश किया जा रहा है। यह है कि मिन अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 3990 जो तत्कालीन तहसीलदार कोटकासिम हाल तहसीलदार, हरसौली पे मिन अपीलान्ट का नाम अमित कुमार की जगह चन्द्रभान की दुरूस्ती के आदेश

तहसीलदार हरसौली को दिये जावे व इसी तरह हाल राजस्व रिकोर्ड मे अमित कुमार के नाम की जगह चन्द्रभान पुत्र खेमचन्द किया जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आज्ञा तत्कालीन तहसीलदार, कोटकासिम हाल तहसीलदार हरसौली दिनांक 6/2/13 बाबत नामान्तरकरण/ इंतकाल सं० 3990 ग्गाम हरसौली मे संशोधन किया जाकर अमित कुमार के स्थान पर अपीलान्ट का नाम चन्द्रभान दर्ज वो स्वीकार करने की आज्ञा दी जावे। इसी कदर आराजी खसरा नम्बरान 3256/4177/0.0800, 551/0.2900, 4322/2064/1.0100 हैक्टयर वाके ग्राम हरसौली की राजस्व जमाबंदी मे भी मिन अपीलान्ट का नाम अमित कुमार की जगह चन्द्रभान दर्ज किया जावे। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा–5 प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरियें नोटिस तलब किया गया। बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस के रेस्पोडेन्ट उपस्थित नही हुए जिनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। तहत न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या0 3990 वाके ग्राम हरसौली की प्रमाणित प्रति प्रेषित की गई जो संलग्न पत्रावली कि गई।

अपीलान्ट द्वारा साक्ष्य दस्तावेजी में नियम 33 के तहत नामान्तकरण संख्या 3990 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श –1, प्रतिलिपि 10 वीं कक्षा मार्कशीट प्रदर्श–2, प्रतिलिपि राशन कार्ड प्रदर्श–3, प्रतिलिपि आधार कार्ड प्रदर्श–4, प्रतिलिपि आधार कार्ड रामकला प्रदर्श–5, पंचायत प्रमाण पत्र प्रदर्श–6, हल्फनामा प्रदर्श –6 संलग्न कराई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा बहस में अपील मीमो को दोहराते हुए निवेदन किया की यह है कि अपीलान्ट द्वारा अदालत श्रीमान मे ग्राम हरसौली के नामान्तरकरण संख्या 3990 की अदालीत श्रीमान में अपील पेश की है जिसमे मिन अपीलान्ट का नाम गलत दर्ज किया गया है। यह है कि इंतकाल संख्या 3990 दिनांक 6/2/2013 को श्रीमान तत्कालीन तहसीलदार कोटकासिम द्वारा स्वीकार किया गया है जिसमे अपीलान्ट का नाम गलत दर्ज किया गया है। वक्त इंतकाल स्वीकार हुआ उस समय अपीलान्ट नाबालिग था। तत्कालीन हल्का पटवारी को सही नाम की जानकारी नही थी किसी के कहेनुसार अपीलान्ट का नाम गलत दर्ज किया गया। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा कोई वार्ड पंच या नम्बरदार, सरपच से कोई जॉच किये बिना ही अपीलान्ट का नाम अमित कुमार दर्ज कर दिया गया जो गलत था, जबकि अपीलान्ट का सही नाम चन्द्रभान था, परन्तु बिना किसी जॉंच किये अपनी मर्जी से दर्ज कर दिया जो बाद मे सर्किल कानूनगो द्वारा भी कोई जॉंच नहीं की व उसके आधार पर तत्कालीन श्रीमान तहसीलदार, कोटकासिम द्वारा इंतकाल स्वीकार कर राजस्व रिकोर्ड मे अमल दरामद कर दिया गया जो गलत था जबकि अपीलान्ट का सही नाम चन्द्रभान था। यह है कि चूँकि अपीलान्ट वक्त इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया गया उस समय नाबालिग था ना कोई जानकारी रही है जबकि अपीलान्ट का नाम हर दस्तावेजात में चन्द्रमान शुरू से ही रहा हैं राशनकार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र आदि मे चन्द्रभान दर्ज है परन्तु राजस्व रिकोर्ड में हल्का पटवारी द्वारा बिना जॉच किये अपीलान्ट के पिता खेमचन्द की मृत्यु के बाद उक्त नामान्तरकरण मे अपीलान्ट का नाम अमित कुमार दर्ज किया गया जो गलत है। यह है कि

जब अपीलान्ट बालिग होने पर व अपनी शिक्षा पूरी करने पर माह जून 2025 में हल्का पटवारी के पास जाकर राजस्व रिकोर्ड अपीलान्ट ने देखा तो अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकोर्ड में अमित कुमार पुत्र खेमचन्द दर्ज था । इस बात की जानकारी दिनांक 15/6/2025 को होने पर अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट से अपना नाम अमित कुमार की जगह चन्द्रभान राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज करने को कहा तो रेस्पोडेन्ट ने नाम दुरूस्त करने के लिये निवेदन किया तो रेस्पोडेन्ट ने कहा कि ये दुरूस्ती करने का अधिकार श्रीमान न्यायालय को है, न कि मेरा। यह है कि अपीलान्ट ने दिनांक 15/6/25 को जानकारी में आने के बाद वकील साहब से मिन अपीलान्ट ने सलाह मशविरा कर जानकारी से अन्दर अवधि अदालत श्रीमान में अपील पेश की व साथ में दफा 5 कानूनी मियाद अधिनिमय के तहत प्रार्थनापत्र भी अपील के साथ पेश किया व साथ मे दस्तावेजी साक्ष्य राशनकार्ड व स्कूल सर्टिफिकेट भी पेश किये है। यह है कि जहाँ तक मियाद के बिन्दु का प्रश्न है प्रथम तो अपीलान्ट द्वारा दफा 5 कानूनी मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया है। यह है कि माननीय राजस्व मण्डल व माननीय उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय का मियाद के मामले में अदालत को नर्म रूख अपनाते हुये अपीलान्ट को सुना जाकर नर्म रूख अपनाते हुये दफा 5 कानूनी मियाद का प्रार्थनापत्र स्वीकार करना चाहिये जिससे अपीलान्ट /पीडित पक्ष को न्याय मिल सके। यह है कि अपीलान्ट ने अपील की ताईद में स्कूल सर्टिफिकेट व राशनकार्ड पेश किये है जिससे अपीलान्ट ने अपनी अपील मे जो तथ्य दर्ज किये है उनकी ताईद होती है। अपीलान्ट की ये अपील स्वीकार करने से किसी को भी कोई नुकसान व क्षति नही होती है। बल्की अपील स्वीकार ना करने की सूरत मे अपीलान्ट को काफी परेशानी होती है क्योकि अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकोर्ड मे अमित कुमार नाम रहने से अपीलान्ट ना तो अपनी विरासत में किसी कृषि भूमि का ना तो बेचान, रहन, बैय कर सकता है, ना ही राज्य केन्द्र सरकार की योजनायो का लाभ उठा सकता है। अतः श्रीमान न्यायालय के समक्ष लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि इंतकाल संख्या 3990 वाके ग्राम हरसौली अब तहसील हरसौली मे अपीलान्ट का नाम अमित कुमार की जगह चन्द्रभान पुत्र खेमचन्द दुरूस्त किया जाकर इसी तरह राजस्व रिकोर्ड खाता संख्या 692 व 693 में दुरूस्त फरमाया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

हमने संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम मियाद अधिनियम दफा 5 पर विवेचन करना उचित समझते है। मियाद के बिन्दु पर अपीलान्ट द्वारा आदेश दिनांक से अपील दायर करने तक विलम्ब का कारण दर्शित किया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नर्मी का रूख अपनाते हुए आदेश दिनांक से अपील दिनांक तक की अवधी को कन्डोन किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहा तक प्रश्न अपील के गुणावगुण का है मैने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेजी का अवलोकन किया। जिससे जाहिर है कि आधार कार्ड में अपीलान्ट का नाम चन्द्रभान पुत्र खेमचन्द, पारिवारिक राशन कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेंर से जारी अंकतालिका में अपीलान्ट का नाम चन्द्रभान पुत्र खेमचन्द दर्ज है तथा तहसीलदार हरसौली के द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी स्पष्ट किया गया है कि चन्द्रभान पुत्र श्री खेमचन्द उम्र 25 साल जाति मेघवाल निवासी ग्राम हरसौली एवं अमित कुमार पुत्र श्री खेमचन्द जाति मेघवाल एक ही व्यक्ति है। तहत न्यायालय द्वारा बिना शपथ पत्र लिए तथा बिना

साक्ष्य के आधार पर नामान्तकरण संख्या 3990 विरासत खेमचन्द अपीलान्ट का नाम अमित कुमार दर्ज करते हुए नामान्तकरण स्वीकार किया। तहत न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 3990 विरासत ग्राम हरसौली पर तहत न्यायालय तहसीलदार कोटकासिम हाल तहसीलदार हरसौली द्वारा पारीत आदेश दिनांक 06.02.2013 अमित कुमार की जद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार हरसौली के पास इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई तक समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत नामान्तकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 01/01/2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमित्रा मिश्र आर.ए.एस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भिवाडी,खैरथल–तिजारा।